कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर (म.प्र.)

क्रमांक / 2443 / री.ए.डी.एम / 2021 इन्दौर, दिनांक 20–5–2021

// आदेश //

(अंतर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973)

(विषय– दिनांक 28.05.2021 तक सम्पूर्ण इन्दौर जिले में किराना / ग्रोसरी तथा फल–सब्जी का विकय प्रतिबंधित रहने बाबद् ।)

इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश कमांक 2364–2365 / री.ए.डी.एम. / 2021 के द्वारा सम्पूर्ण इन्दौर जिले में जनता कर्फ्यू की अवधि दिनांक 29.05.2021 तक बढ़ाई गई है। इस आदेश में राशन / ग्रोसरी थोक एवं खेरची के संबंध में भी उन्हे विनियमित करने के लिए कुछ निर्देश दिए गए थे। वर्तमान में इन्दौर शहर एवं जिले में कोरोना की पॉजीटिव दर निरंतर कम हो रही है किन्तु इसके साथ यह भी आवश्यक है कि जनता कर्फ्यू में दी जा रही छूट के आधार पर अनावश्यक लोग घरों से न निकले। कोरोना संक्रमण की चैन को 31 मई 2021 तक तोड़ना आवश्यक है ताकि जून माह में कुछ अतिरिक्त गतिविधियों को खोलने का प्रस्ताव राज्य शासन को जिला क्रायसेस मेनेजमेंट समिति के अभिमत अनुसार भेजा जा सके। वर्तमान में दिन में तथा सायं को यह देखने में आ रहा है कि कुछ लोग अनावश्यक घरों से निकल रहे है तथा दी गई छूट के दुरपयोग के प्रकरण भी सामने आये जिसमें पुलिस द्वारा लोगों अस्थाई जेल भेजा गया है।

यह भी आवश्यक है कि इन्दौर शहर एवं जिले के **ऐसे हिस्से जहां संकमण ज्यादा है उन्हे माईकोकंटेनमेंट क्षेत्र घोषित कर उन चुनिंदा क्षेत्रों में आवाजाही रोकते हुए दिनांक 01 जून 2021** के बाद इन अधिक संकमित क्षेत्रों को छोड़कर शेष क्षेत्रों में विभिन्न गतिविधियों को खोलने की कार्यवाही जिला काईसेस समिति एवं राज्य शासन के अभिमत अनुसार प्रदान की जाए।

अतः विचारोपरान्त यह आवश्यक है कि वर्तमान में दी गई छूट अथवा प्रतिबंध में शिथिलता में ओर सख्ती की जाए। अतः निम्नानुसार उल्लेखित प्रतिबंधों में पूर्व में दी गई शिथिलता को वापस लेते हुए किराना / ग्रासरी तथा फल सब्जी विकय में प्रतिबंध दिनांक 28.05.2021 तक के लिए लगाया जाना आदेशित किया जाता है–

1. जिले के समस्त एस.डी.एम. एवं स्वास्थ्य अमले को निर्देशित किया जाता है कि **वे अपने अपने क्षेत्रों में अधिक संकमित क्षेत्रों को चिन्हित करें** ताकि उन क्षेत्रों को **कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित कर** अग्रिम कार्यवाही की जा सके। यह अधिक संकमित क्षेत्रों में आने वाले 31 मई 2021 तक संक्रमण की दर को 5 % के नीचे लाने का प्रयास किया जाना है साथ ही अपने अपने क्षेत्रों दैनंदनी रूप से नजर रखते हेतु दिनांक 30–31 मई 2021 को ऐसे क्षेत्र अथवा गांव का चिन्हांकन कर लिया जाए, जिन्हे 01 जून के बाद भी कंटेनमेंट क्षेत्र के रूप में नियंत्रित करके रखना आवश्यक है।

2. यह कि सम्पूर्ण इन्दौर जिले की **समस्त थोक एवं खेरची निजी किराना/ग्रोसरी दुकाने दिनांक 28.05.2021 तक के लिए बंद रहेगी।** ग्रामीण क्षेत्रों में एस.डी.एम. अपने राजस्व एवं पंचायत के माध्यम से सुनिश्चित करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में यह दुकाने शतप्रतिशत बंद रहेगी। इसी प्रकार सभी नगरीय निकायों में यह दुकाने शत प्रतिशत बंद रहेगी तथा इनके संचालन में प्रतिबंध रहेगा।
3. सम्पूर्ण **इन्दौर जिले में फल, सब्जी का विकय उक्त अवधि के लिए प्रतिबंधित** रहेगा अर्थात चौईथराम फल–सब्जी मंडी, निरंजनपुर फल–सब्जी मंडी एवं जिले के अन्य सभी हाट बाजार तत्काल प्रभाव से दिनांक 28.05.2021 तक बंद रहेंगे।
4. इन्दौर जिले के समस्त आमजन से अनुरोध किया जाता है कि घर पर ही रहे तथा घर से बाहर न निकले। क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट एवं पुलिस को निर्देशित किया जाता है कि दस्तावेजों का परीक्षण ठीक ढंग से करें ताकि अनावश्यक निकले हुए व्यक्तियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जा सके। **टू–व्हिलर के साथ–साथ फोर व्हिलर का भी सघनता से परीक्षण किया जाए।**
5. पूर्व में होम डिलेवरी हेतु समस्त एजेंसीओं जैसे – बिग बास्केट, ऑनडोर, बिग बाजार, आदि को अनुमति दी गई थी। केवल किराना एवं ग्रोसरी आयटम के लिए ये होम डिलेवरी विभिन्न एजेंसीस प्रातः 06.00 से सायं 05.00 बजें तक कर सकेंगे। होम डिलेवरी लोडिंग वाहनों से दो कर्मचारियों के साथ की जा सकेगी तथा कर्मचारियों के पास पहचान पत्र होना अनिवार्य होगा।
6. **उद्योग, गोदाम, ट्रांसपोर्ट संबंधी व्यक्ति तीन टाईम स्लॉट** तथा प्रातः 08.30 से 10.00 बजें तक, सायं 06.00 से 07.00 बजें एवं रात्रि 01.00 से 2.30 बजें तक अपने निवास से आ जा सकेंगे। इसका उल्लघंन किए जाने पर पुलिस द्वारा कार्यवाही की जावेगी।
7. दूध का घर–घर वितरण अथवा डेरी से वितरण प्रातः 09.00 बजें तक एवं सायं 05.00 से 07.00 बजें तक किया जा सकेगा। दूध वितरण अगर दूध डेरी से होता है तो दूध डेरी की शटर आधे बंद रहेगे तथा दूध बाहर रखकर सोशल डिस्टेसिंग अथवा गोला बनाकर दूध वितरण किया जा सकेगा। प्रातः 09.00 बजें उपरांत दूध वितरण पर सख्ती से पाबंदी रहेगी।

चूंकि यह आदेश National Disaster Management Act-2005 एवं The Epidemic Disease Act, 1897 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जन साधारण की सूविधा हेतु तत्काल पालन हेतु प्रभावशील किया जाना आवश्यक हो गया है । इतना समय उपलब्ध नहीं है, कि जन सामान्य व सभी संबंधित पक्षों को उक्त सूचना की तामिली की जा सकें । अतः यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता है। आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (5) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा । अत्यंत विशेष परिस्थितियों में अधोहस्ताक्षरकर्ता संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्तो से छूट दे सकेगा ।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेंगा। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा। शेष आदेश एवं उसमें समय–समय पर दी गई छूट पूर्ववत् लागू रहेगी।

यह आदेश **दिनांक 20/5/2021** को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया ।

(मनीष सिंह)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला इन्दौर
इन्दौर, दिनांक 20–5–2021

पृ०क्र० / 2444 / री0ए0डी0एम0 / 2021
<u>प्रतिलिपि :–</u>

1. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर
3. पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर
4. उप पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर
5. आयुक्त, नगर निगम, इन्दौर
6. समस्त अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी / अपर कलेक्टर, इन्दौर
7. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पूर्व / पश्चिम / मुख्यालय / यातायात, झोन –1–2–3, इन्दौर
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला इन्दौर.
9. समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी, इन्दौर
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, इन्दौर ।
11. एस0डी0ओ0(पी) नगर पुलिस अधीक्षक(समस्त), ..., इन्दौर
12. उप पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय / जिला विशेष शाखा, इन्दौर
13. थाना प्रभारी, थाना...जिला इन्दौर की ओर पालनार्थ ।
14. उप संचालक, जन संपर्क इन्दौर की ओर आदेश का प्रकाशन हेतु अग्रेषित।
15. प्रभारी अधिकारी, एन.आई.सी., कलेक्टोरेट, इन्दौर की ओर जिला प्रशासन की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
16. प्रभारी अधिकारी, पुलिस कन्ट्रोल रूम, इन्दौर।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला इन्दौर.